संख्या : 36/2017/425/छप्पन-2017-81/2013

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल, 2017

विषयः जनपद इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक -08/ए0एफ0-108-12/2017, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ में योजित पी0आई0एल0 संख्या- 9552/2016 अजय कुमार मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.12.2016 का उल्लेख करते हुए जनपद इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि रूपये 37,00,00,000/- करोड. (रूपये सैंतीस करोड. मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- आप अवगत हैं कि इलाहाबाद सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु 30.3910 हे0 भूमि चिन्हित है। इस भूमि के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-21/2016/1817/छप्पन-2015-81/2013, दिनांक 25.2.2016 द्वारा रूपये 2,89,21,65,906/- (रूपये दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रशासकीय अनुमोदन के सापेक्ष अब तक कुल धनराशि रूपये 1,68,20,69,896/- (रूपये एक अरब अरसठ करोड़ बीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ छियानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। प्रशासकीय रूप से अनुमोदित धनराशि में से अवमुक्त धनराशि को घटाने के उपरान्त रूपये 1,21,00,96,010/- (रूपये एक अरब इक्कीस करोड़ छियानबे हजार दस मात्र) अवमुक्त हेतु अवशेष है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में रूपये 35,00,00,000/- (रूपये पैंतीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासनादेश संख्या-1412(1)/छप्पन-2013-81/13, दिनांक 09.01.2014 में इंगित नियम/शर्तें यथावत् रहेंगी। उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 35,00,00,000/- (रूपये पैंतीस करोड़ मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निवर्तन पर रखा जायेगा और यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को अनुदान संख्या-38 वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में विहित प्राविधानानुसार निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्याः 36/2017/425(1)/छप्पन-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
(3) आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-7
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in